क्रम-संख्या–200

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 04 सितम्बर, 2006

भाद्रपद 13, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1020/सात–वि–1–1 (क)-26-2006

लखनऊ, 04 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 पर दिनांक 01 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2006) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव और विकास की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

चूँकि उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं प्रभावी ग्रामीण और नगरीय पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव और विकास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की व्यवस्था करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 11 अगस्त, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2–इस अधिनियम में,–

(क) 'पुस्तक' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :–

(एक) प्रत्येक खण्ड, खण्ड का कोई अंश या भाग और किसी भाषा में पैम्फलेट, समाचार पत्र, पत्रिकायें, धारावाहिक प्रकाशन और पाण्डुलिपियाँ;

(दो) कागज के ताव पर मुद्रित स्वरलिपि पत्र, संगीत, मैप, चार्ट या रेखांकन जो पृथक रूप से मुद्रित या शिला-मुद्रित हो;

(तीन) दृश्य-श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री यथा टेप, कैसेट, फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, माइक्रो कार्ड, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर, फ्लॉपी, कम्पैक्ट डिस्क, फोटो-ग्राफ आदि;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद के अध्यक्ष से है;

(ग) 'परिषद' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद से है;

(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 6 में निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक से है;

(ङ) 'जिला' का तात्पर्य राज्य के किसी राजस्व जिला से है;

(च) 'विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय)' का तात्पर्य पुस्तकालय विज्ञान में व्यावसायिक अर्हता रखने वाले किसी ऐसे अधिकारी से है जो पुस्तकालयों के कार्यकलापों की देख-रेख के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक से निम्न पंक्ति का न हो;

(छ) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' का तात्पर्य राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य संगठन द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और प्रबन्धित एवं जनता के लिये खुला घोषित किसी पुस्तकालय से है और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य पुस्तकालय भी होगा;

(ज) 'सहायता प्राप्त पुस्तकालय' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किसी पुस्तकालय से है;

(झ) 'वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष के प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

अध्याय-दो

परामर्शदात्री समितियाँ

राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन एवं उसके कृत्य

3–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य पुस्तकालय परिषद कहा जायेगा।

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद में निम्नलिखित होंगे :—

1—मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;	अध्यक्ष
2—प्रमुख सचिव या सचिव, जैसी स्थिति हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;	उपाध्यक्ष
3—प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;	सदस्य
4—प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;	सदस्य
5—प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;	सदस्य
6—विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;	सदस्य
7—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश;	सदस्य
8—पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश;	सदस्य
9—उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;	सदस्य
10—राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुस्तकालय अधिकारी;	सदस्य
11—अध्यक्ष, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;	सदस्य
12—विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक) माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य/ सचिव

(3) परिषद इस अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी। यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा विहित किये जायँ।

(4) क्रम-संख्या 9 से 11 तक में विनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(5) परिषद का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

राज्य स्थायी समिति का गठन और उसके कृत्य

4—(1) एक राज्य स्थायी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1—प्रमुख सचिव या सचिव, जैसी स्थिति हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;	अध्यक्ष
2—प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;	सदस्य
3—प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;	सदस्य
4—विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;	सदस्य
5—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश;	सदस्य
6—विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक), माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य/ सचिव

(2) राज्य स्थायी समिति राज्य पुस्तकालय परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों और दिये गये सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। यह राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं का नियोजन, अनुश्रवण और निष्पादन करेगी। यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, राज्य पुस्तकालय परिषद या सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग से सम्बद्ध किसी अन्य वाह्य अभिकरण द्वारा सौंपे गये पुस्तकालय संबंधी कार्य की देखभाल करेगी।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य स्थायी समिति के निम्नलिखित कृत्य भी होंगे :–

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय नीति और प्रणाली का निरूपण और संवर्धन करना;

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के सम्बन्ध में बजट और अन्य वित्तीय प्रस्ताव को प्रक्रिया में लाना, योजना बनाना और तैयार करना ;

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय प्रणाली के विकास का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना ;

(घ) पुस्तकों और अन्य सामग्री का केन्द्रीय स्तर पर अधिग्रहण, उपापन और वितरण का नियोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समन्वयन करना ;

(ङ) स्वयंसेवी सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों को मान्यता प्रदान करना ;

(च) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्रियाकलापों का समन्वयन और पर्यवेक्षण करना ;

(छ) पुस्तकालय परिषद और स्थायी समिति से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना ;

(ज) अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय संबंधी सेवाओं में सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने के लिये उपाय अपनाना ;

(झ) शिक्षा विभाग के अधीन अन्य पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना ;

(ञ) राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक निकायों और संघों से सम्पर्क स्थापित करना ;

(ट) राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीन पुस्तकालयों से संबंधित मामलों पर परामर्श देना ;

(ठ) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए "अनवरत शिक्षा कार्यक्रम" यथा पुनश्चर्या आदि आयोजित करना ;

(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायं।

जिला पुस्तकालय समिति का गठन एवं उसके कृत्य

5–(1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगें :–

1–जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2–मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3–प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4–सचिव, जिला साक्षरता समिति	सदस्य
5–जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य

6—पेंशन भोगी संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति	सदस्य
7—जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
8—जिला सूचना अधिकारी या सहायक निदेशक, सूचना	सदस्य
9—अध्यक्ष, जिला पंचायत का नाम निर्देशिती	सदस्य
10—अध्यक्ष, नगर पंचायत या उसका नाम निर्देशिती	सदस्य
11—जिले के किसी महाविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
12—राजकीय इन्टर कालेज का प्राचार्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
13—महिला मंगल दल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14—जिला पुस्तकालय संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15—समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
16—पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला राजकीय पुस्तकालय, यदि कोई हो।	सदस्य/सचिव

(2) जहां किसी जिले में जिला राजकीय पुस्तकालय का कोई पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, वहां क्रम-संख्या 12 पर निर्दिष्ट सदस्य सदस्य–सचिव होगा।

(3) जिला पुस्तकालय समिति जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसके प्रगति का अनुश्रवण करेगी। यह ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी जिन्हें विहित किया जाय।

अध्याय-तीन

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

6—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

निदेशक के कृत्य

7—राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए निदेशक;—

(क) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए राज्य सरकार को वार्षिक बजट, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(ख) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, जिनके अन्तर्गत सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी हैं, के कार्य पर विवरणात्मक और संख्यिकीय रिपोर्ट एवं आंकड़े एकत्र करेगा;

(ग) पुस्तकालय का और विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा मानक बनाए रखें;

(घ) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय कर्मियों के उनके सेवा में रहते हुए, प्रशिक्षण को सुनिश्चित, आयोजित और सहयोग प्रदान करेगा;

(ङ) राज्य में सार्वजनिक पुस्ताकालयों का समुचित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा;

(च) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा;

(छ) जिला स्तर पर पुस्तकालय समितियों के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करेगा;

(ज) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

अध्याय-चार

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना और विभिन्न राजकीय केन्द्रों और पुस्तकालयों के कृत्य

राज्य स्तरीय पुस्तकालय

8–राज्य में दो राज्य स्तर के पुस्तकालय होंगे जिसमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद होगा और दूसरा राज्य संदर्भ पुस्तकालय, लखनऊ होगा।

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के कृत्य

9–राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) सामान्य जनता के लिए उपयोगी समस्त वाचन सामग्रियां प्राप्त करना एवं व्यवस्था करना;

(ख) सामान्य जनता को स्ववाचन की सुविधा प्रदान करना ;

(ग) राज्य में अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किसी अनुपूरक के रूप में कार्य करना ;

(घ) व्यापक स्तर पर जनता के मध्य वाचन की आदतें संवर्धित करने हेतु पुस्तक प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों और अन्य क्रियाकलापों का आयोजन करना;

(ङ) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं/कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित सूचना का प्रसार करने हेतु किसी अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(च) यथा विहित रीति से सामान्य जनता को पुस्तक उधार देने की सेवाएं प्रदान करना ;

(छ) अन्तर्पुस्तकालय ऋण सेवा सहित, राज्य में, सार्वजनिक पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकालय सहयोग की योजना बनाना और उसमें समन्वय स्थापित करना ;

(ज) विकलांगों को वाचन सुविधाएं और विशेष सेवाएं प्रदान करना ;

(झ) राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना ;

(ञ) राज्य में विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में नव साक्षरों के लिए उपर्युक्त साहित्य प्राप्त एवं उपलब्ध कराना ;

(ट) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों में कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत वृत्तिकों की प्रसुविधा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(ठ) ऐसा अन्य कार्य करना जो उसे राज्य पुस्तकालय परिषद या निदेशक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकास और सेवाएं द्वारा सौंपे जायं।

राज्य संदर्भ पुस्तकालय के कृत्य

10–राज्य संदर्भ पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) राज्य में प्रकाशित समस्त उपयोगी सामग्रियों को प्राप्त करना ;

(ख) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कम्प्यूटरीकृत संयुक्त सूचियां संकलित करना ;

(ग) विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं की प्रसुविधाओं के लिए विशेष रूप से "मानविकी" और "सामाजिक विज्ञान" के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर व्यापक संदर्भ सूचियां संकलित करना एवं प्रकाशित करना ;

(घ) संदर्भ और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए सामान्य जनता को वाचन सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(ङ) राज्य में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित दुर्लभ पाण्डुलिपियां अर्जित करना और ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों की संख्या, सूचियों का संकलन करना और प्रकाशन करना ;

(च) रासायनिक उपचार या/ और माइक्रो फिल्मिंग की सहायता से दुर्लभ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण करना ;

(छ) राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की संयुक्त सूची संकलित करना ;

(ज) सामान्य हित के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न अभिलेखीकरण क्रियाकलापों और समाचार पत्रों की कतरनों के संग्रह को कार्यान्वित करना ;

(झ) स्थायी महत्व रखने वाली सामग्री की पहचान करने के पश्चात् ऐसी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के पुराने और अनुपयोगी संग्रह का परीक्षण और मूल्यांकन करना ;

(ञ) अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठकों की प्रसुविधा के लिए पुस्तकालय संचालन के विभिन्न पहलुओं पर अन्तर्पुस्तकालय प्रदाय सहित पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करना ;

(ट) उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए विभिन्न विद्यमान कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय नेटवर्क यथा "डी इ एल एन इ टी " इत्यादि में भाग लेना ;

(ठ) राज्य पुस्तकालय परिषद या निदेशक द्वारा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए सौंपा गया कोई कार्य कार्यान्वित करना।

11—प्रत्येक जिले में एक राजकीय जिला पुस्तकालय होगा। जिला पुस्तकालय जिले के लिए प्रदाय और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए शीर्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। जिला पुस्तकालय,— जिला पुस्तकालय

(क) जनता के उपयोग के लिए उपयोगी और मानक साहित्य और अन्य वाचन सामग्री, श्रव्य-दृश्य उपस्कर का संग्रह करेगा ;

(ख) क्षेत्रीय/स्थानीय हित की सामग्री का संग्रह करेगा ;

(ग) संदर्भ, सूचना और प्रदाय सेवाओं को उपलब्ध करायेगा और वाचन आदतों को बढ़ावा देने और उसमें विस्तार करने में सहायता करेगा ;

(घ) शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालय और अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित पुस्तकालय के संग्रह की अनुपूर्ति करेगा ;

(ङ) जिले में अन्तर्पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा ;

(च) चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था करेगा और जहाँ कहीं आवश्यक हो पुस्तक परिदान केन्द्र स्थापित करेगा ;

(छ) जिले के अन्य राजकीय शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालयों और चल पुस्तकालय सेवाओं के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा ;

(ज) जिले में सावधिक रूप से अन्य राजकीय पुस्तकालयों और अन्य सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का निरीक्षण करेगा ;

(झ) जिला पुस्तकालय प्रणाली के निमित्त विकास योजनाओं की तैयारी के कार्य में जिला पुस्तकालय समिति को सहायता उपलब्ध करायेगा ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उसे जिला पुस्तकालय समिति द्वारा सौंपे जायं।

अध्याय—पाँच

वित्त

वित्त

12—पुस्तकालय विकास योजना राज्य के केन्द्रीयित और अकेन्द्रीयित वार्षिक और पंचवर्षीय योजनागत और आयोजनागत बजट का समग्र भाग होगा। राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की सहायता और उसके विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के अर्थोपाय का भी पता कर सकती है।

अध्याय—छः

मान्यता

सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता

13—(1) राज्य सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय, या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जनता के उपयोग के लिए खोले गये किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, नियमों के अनुसार उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में किसी सार्वजनिक पुस्तकालय संघ को मान्यता प्रदान कर सकती है।

अध्याय—सात

रिपोर्ट और निरीक्षण

रिपोर्ट और निरीक्षण

14—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो, ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्वयं का समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या उससे सम्बद्ध किसी संस्था या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था के निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

(3) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर निदेशक, उस वर्ष में, ऐसी सूचना और विवरणों, जैसा कि विहित किया जाय, के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की कार्यप्रणाली और उनके प्रशासन तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—आठ

प्रकीर्ण

15—इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या करने के लिए तात्पर्यित परिषद के समस्त सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। परिषद के सदस्य लोक सेवक होंगे

16—इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए परिषद या उसके किसी सदस्य या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी। सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

17—परिषद या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी :— विधिमान्य उपधारित किये गये परिषद के कार्य और कार्यवाहियां

(क) उसमें कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता।

18—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले का उपबन्ध करने के लिए ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं, अर्थात :—

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या पुस्तकालय अधिकारियों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने की रीति ;

(ख) अध्यक्ष द्वारा निष्पादित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जिनका प्रयोग और निष्पादन परिषद द्वारा किया जा सके ;

(घ) परिषद और उसकी समितियों के सदस्यों को संदेय भत्ते और दरें जिन पर उन्हें भुगतान किया जायगा ;

(ङ) निदेशक या पुस्तकालय कोष्ठक द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(च) जिला पुस्तकालय समितियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कृत्य ;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता ;

(ज) वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना और विवरण ;

(झ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है।

19—(1) परिषद, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों से संगत विनियम बना सकती है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले के लिए ऐसे विनियम का उपबन्ध कर सकती है, अर्थात् :—

(क) समय, दिनांक और स्थान, जिस पर परिषद बैठक करेगी और अपनी बैठक में अपने कार्य करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम, जिनका परिषद पालन करेगी।

(ख) अन्य समितियां, जिनका गठन परिषद कर सकती है, उनमें सदस्यों की संख्या और कृत्य, जिनका निष्पादन ऐसी समितियों द्वारा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश **अध्यादेश** संख्या 7 सन् 2006

20—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के विनियमन, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने की व्यवस्था करने के लिए विगत दस वर्षों से विधि बनाये जाने पर विचार कर रही थी। ऐसी कार्यवाही के लिए भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से अनुरोध किया जाता रहा है किन्तु अतिरिक्त वित्तीय भार निहित होने के कारण इसे बनाया नहीं जा सका। इसी मध्य विभिन्न प्रदेशों में उक्त विषय पर अधिनियम लागू किया जा चुका था और पुस्तकालय अधिनियम को लागू किये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से निरन्तर मांग की जा रही थी। अतः सम्यक विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव और विकास की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर०एम० चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1020/VII-V-1—1 (Ka)-26-2006
Dated Lucknow, September 04, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Pustkalaya Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 01, 2006.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC LIBRARIES ACT, 2006
(U.P. ACT No. 21 of 2006)
[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

to provide for the establishment, organization, maintenance and development of Public Libraries.

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment organization, maintenance and development of free and effective rural and urban Public Libraries and other allied services in the State of Uttar Pradesh;

IT, IS HEREBY, enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Libraries Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 11, 2006.

Definitions

2. In this Act,—

(a) 'Book' includes,—

(i) every volume, a part or division of a volume and pamphlet, in any language, newspapers, periodicals, serial publications and manuscripts;

(ii) sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed;

(iii) Audio-visual, Audio and Visual materials such as tapes, cassettes, films, filmstrips, micro card, microfilm, computer, floppy, compact disk photograph etc. ;

(b) 'Chairman' means the Chairman of the State Library Council constituted under this Ordinance;

(c) 'Council' means the State Library Council constituted under this Ordinance;

(d) 'Director' means the Director of Public Libraries, referred to in section 6;

(e) 'District' means a Revenue District of the State;

(f) 'Officer on Special Duty(Libraries)' means an officer having professional qualification in Library Science not below the rank of Deputy Director appointed by the State Government to look after the affairs of Libraries;

(g) 'Public Library' means a library established, maintained and managed by the State Government, a local body or other organisation receiving aid from State Government and declared open to the public and shall include any other library recognized by notification by the State Government;

(h) 'Aided Library' means a Library declared as such by the State Government;

(i) 'Year' means a period of twelve months commencing on the first day of April of a calendar year.

CHAPTER-II

ADVISORY COMMITTEES

Constitution and function of the State Library Council

3. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State G[illegible] notification constitute for the purpose of this Act, a Council to be called the S[illegible] Library Council.

(2) [illegible] Library Council shall consist of :—

1. the Minister, Secondary Education Department, Government of Uttar Pradesh ;	*Chairperson*
2. the Principal Secretary or the Secretary as the case may be, to the Government of Uttar Pradesh, Secondary Education Department ;	*Vice-Chairperson*
3. the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary ;	*Member*
4. the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Culture Department or his nominee not below the rank of Special Secretary ;	*Member*
5. the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Planning Department or his nominee not below the rank of Special Secretary ;	*Member*
6. the Special Secretary, to the Government of Uttar Pradesh, Secondary Education Department nominated by the Secretary, Secondary Education ;	*Member*
7. the Director, Secondary Education Department, Uttar Pradesh ;	*Member*
8. the Librarian, Central State Library, Secondary Education Department, Uttar Pradesh ;	*Member*

9. one person nominated by the Uttar Pradesh Library Association ;	*Member*
10. one Library Officer nominated by the State Government ;	*Member*
11. one person nominated by the Chairman Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata ;	*Member*
12. the Officer on Special Duty (Library Cell), Secondary Education Department, Government of Uttar Pradesh.	*Member/ Secretary*

(3) The Council shall advise the State Government on all matters arising in the administration of this Act. It shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(4) The tenure of the members specified at serials 9 to 11 shall be two years.

(5) The Headquarters of the Council shall be at Lucknow.

Constitution and function of the State Standing Committee

4. (1) There shall be a State Standing Committee consisting of,—

1. the Principal Secretary or the Secretary as the case may be, to the Government of Uttar Pradesh, Secondary Education Department;	*Member*
2. the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;	*Member*
3. the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Planning Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;	*Member*
4. the Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Secondary Education Department nominated by the Secretary, Secondary Education;	*Member*
5. the Director, Secondary Education Department, Uttar Pradesh;	*Member*
6. the Officer on Special Duty (Library Cell), Secondary Education Department, Government of Uttar Pradesh.	*Member/ Secretary*

(2) The State Standing Committee shall ensure the implementation of the decisions and suggestions made by the State Library Council. It shall plan, monitor and execute plans and projects in connection with the Public Library Development in the State. It shall also look after the library work entrusted to it by the Ministry of Education, Government of India, Department of Culture, the State Library Council or any other outside agency connected with the Public Library Development.

(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (2) the functions of State Standing Committee shall also be,—

(a) to enunciate and promote public library policy and system;

(b) to process, plan and prepare budget and other financial proposals in connection with the development of public libraries;

(c) to monitor and evaluate the growth of public libraries and library system;

(d) to plan, supervise, control and coordinate central acquisition, procurement and distribution of books and other material;

(e) to recognize voluntary public libraries and library associations;

(f) to coordinate and supervise the activities of the public libraries of the State;

(g) to process matters concerning the library council and the standing committee;

(h) to adopt measures for establishing cooperation and liaison among library services rendered by other departments;

(i) to process matters concerning other library services under the Education Department;

(j) to establish liaison with professional bodies and associations within and outside the State;

(k) to advise on matters concerning libraries under other departments of the State Government ;

(l) to organize "continuing education programs" for librarians in public library system such as refresher course etc. ;

(m) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government from time to time.

Constitution and functions of a District Library Committee

5. (1) There shall be a District Library Committee in each district of the State consisting of,—

1.	the District Magistrate	*Chairperson*
2.	the Chief Development Officer	*Vice-Chairperson*
3.	the Principal, District Institute for Education & Training.	*Member*
4.	the Secretary, District Literacy Committee	*Member*
5.	the District Yuva Kalyan Adhikari	*Member*
6.	one person nominated by the Pensioners Association	*Member*
7.	the District Inspector of Schools	*Member*
8.	the District Information Officer or the Assistant. Director Information	*Member*
9.	the Nominee of Chairman, Zila Panchayat	*Member*
10.	the Chairman, Nagar Panchayat or his Nominee	*Member*
11.	the Librarian of a Degree College of the district to be nominated by the District Magistrate.	*Member*
12.	the Principal of a Government Inter College to be nominated by the District Magistrate.	*Member*
13.	one representative of Mahila Mangal Dal	*Member*
14.	one representative of District Library Association	*Member*
15.	the Coordinator, Nehru Yuva Kendra	*Member*
16.	the Librarian District Government Library, if any	*Member/ Secretary*

(2) Where there is no Librarian of District Government Library in any district the member specified at serial 12 shall be the Member-Secretary.

(3) The District Library Committee shall prepare plans for the development of Public Library System in the district and monitor the progress thereof. It shall also perform such other functions as may be prescribed.

CHAPTER- III

DIRECTOR OF PUBLIC LIBRARIES

The Director of Public Libararies

6. The Director of Secondary Education, Uttar Pradesh shall be the Director of Public Libraries and be responsible for the proper administration and operation of the provisions of this Act.

Functions of the Director

7. Subject to the control of the State Government, the Director shall,—

(a) prepare and submit to the Government the annual budget, annual and five year plans for the development of Public Library System and services in the State;

(b) collect descriptive and statistical report and data on the working of all Public Libraries, including Government Aided Public Libraries;

(c) fix minimum standards of library and information services by various Public Libraries and ensure that the Public Libraries of the State maintain such standards;

(d) ensure, organize, support the in-service training of various types of library workers;

(e) ensure the proper inspection of the Public Libraries in the State;

(f) supervise and coordinate the performance of all Public Libraries;

(g) ensure proper functioning of the Library Committees at District level;

(h) prepare and submit annual report in connection with the development of Public Library Services;

(i) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred on or assigned to him by the State Government from time to time.

CHAPTER-IV

STRUCTURE OF THE PUBLIC LIBRARY SYSTEM AND FUNCTIONS OF VARIOUS STATE CENTRES LIBRARIES

State Level Libraries

8. There shall be two State Level Libraries in the State, of which one shall be the State Central Library at Allahabad and the other shall be the State Reference Library at Lucknow.

Functions of the State Central Library

9. The functions of the State Central Library shall be,—

(a) to procure and organize all reading material useful for the general public;

(b) to provide facility of self-reading to the general public;

(c) to act as a supplement to other Public Libraries in the State;

(d) to organize book exhibitions, lectures, seminars and other activities, *etc.* for promoting reading habits among public at large;

(e) to act as an agency to disseminate information relating to various development schemes/welfare programmes of the State and the Central Government;

(f) to provide book lending services to the general public in such manners as may be prescribed;

(g) to plan and co-ordinate library co-operation among Public Libraries in the State including inter-library loan service;

(h) to provide reading facilities and special services to handicapped;

(i) to work as an apex institution in Public Library System of the State;

(j) to procure and make available literatures suitable for neoliterates as a support system for various adult education programmes in the State:

(k) to promote Computerization in Public Libraries of the State and' organize training programmes for the benefit of professionals working in Public Libraries;

(l) to carry out such other work as may be entrusted to it by the State Library Council or the Director for the Development of Public Library System and service in the State.

Functions of the State Reference Library

10. The functions of the State Reference Library shall be,–

(a) to procure all useful material published in the State;

(b) to compile a computerized union catalogues of Public Libraries in the State;

(c) to compile and publish comprehensive bibliographies on various subjects for the benefits of scholars and researchers, especially in the field of "humanities" and "social sciences";

(d) to provide reading facilities to general public for reference and research purposes;

(e) to acquire the handwritten rare manuscripts available at different places in the State and to compile and publish comprehensive bibliographies of such rare manuscripts;

(f) to preserve rare manuscripts with the help of chemical treatment or/and microfilming;

(g) to compile a union catalogue of manuscripts available in different libraries of the State;

(h) to carry out various documentation activities and news paper clippings on important aspects of general interest;

(i) to examine and evaluate the old and unuseful collection of public libraries for declaring such material unuseful after identifying the material having permanent significance;

(j) to promote library co-operation on different aspects of library operations including inter-library lending for the benefit of readers in other public libraries;

(k) to participate, in various existing computerized library network such as **"DELNET"** etc. for the benefit of users;

(l) to carry out any work entrusted by State Library Council or Director for the development of public library system in the State;

District Libraries

11. There shall be a Government District library in each District. A District library shall function as an apex library for the district library system in addition to functioning as a lending and reference library for the district. The District library shall,–

(a) collect useful and standard literature and other reading material, audio- visual equipment for the use of the public;

(b) collect material of regional/local interest;

(c) provide reference, information and lending services and help in promotion and extension of reading habits;

(d) supplement the collection of branch/ tehsil/block/ village libraries and libraries run by other agencies;

(e) encourage and supervise inter library co-operation in the district;

(f) provide mobile library services and establish book delivery centers wherever necessary;

(g) coordinate and supervise the activities of other Government branch/ Tehsil/ Block/ Village libraries of the district and mobile library services;

(h) inspect periodically the other government libraries and other aided libraries in the district;

(i) provide assistance to the district library committee in the task of preparation of development plans for the district library system;

(j) perform such other functions as may be entrusted to it by the District Library Committee.

CHAPTER-V

FINANCE

Finance

12. The library development plan shall form an integral part of the centralized and decentralized annual and five year plan and non plan budget of the State. The State Government, if it considers necessary may also find means and ways to raise additional resources to support and develop the Public Library System.

CHAPTER-VI

RECOGNITION

Recognition of Public Libraries and Public Library Associations

13. (1) The State Government may recognize any library run by the voluntary organizations registered under the Societies Registration Act, 1860,or any library run by local authority open for use to the public, as public library for the purpose of payment of grant-in-aid or other financial assistance to it.

(2) The State Government may, in accordance with the rules, recognise any public library association in the State registered under the Societies Registration Act, 1860 for the purpose of payment of grant-in-aid or other financial assistance to it.

CHAPTER-VII

REPORTS AND INSPECTIONS

Reports and Inspections

14. (1) Every person who is in-charge of the management of a public library and every person who is in-charge of public library association shall submit such reports and returns and furnish such information as the State Government, may from time to time require.

(2) The Director or an officer authorized by him in this behalf shall have powers to inspect public libraries and public library associations or any institution attached thereto or any institution conducting the training courses in library service and library and information science receiving financial assistance, for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder are being carried out.

(3) Within six months from the close of every year, the director shall prepare an annual report on the working and administration of and the progress made by, public libraries and public library associations in that year together with such information and particulars as may be prescribed and submit the same to the State Government.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

Members of the Council shall be public servants

15. All the members of the Council while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rules and regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Council or any member or servant thereof for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules and regulations made there under. Protection of action taken in good faith

17. No act or proceeding of the Council or any of its committees shall be invalid merely by reason of, — Acts and proceedings of the council presumed to be valid

(a) any vacancy therein or any defect in constitution thereof, or

(b) any irregularity in its procedure.

18. (1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made to provide for all or any of the following matters, namely :

(a) manner for electing representatives from public library associations or Library Officers;

(b) the powers, duties and function to be performed by the Chairperson;

(c) such other powers and functions as may be exercised and performed by the Council;

(d) the allowances payable to the members of the Council and its Committees and the rates at which they shall be payable;

(e) other powers, functions and duties to be exercised and performed by the Director or the Library Cell;

(f) the functions to be performed by the district library committees;

(g) recognition of public libraries and public library associations;

(h) the information and particulars to be included in the annual report;

(i) any other matter which is to be or may be prescribed.

19. (1) The Council may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder to discharge its function under this Act. Power to make regulations

(2) In particular and without prejudice to the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters namely

(a) the time, date and place at which the Council shall meet and the rules of procedure the Council shall observe in regard to transaction of its business at its meeting.

(b) other committees which council may constitute, the number of members therein and the functions which may be performed by such committees.

U.P. Ordinance no. 7 of 2006

20. (1) The Uttar Pradesh Public Libraries Ordinance, 2006 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had been considering for the last ten years to make a law to provide for regulating, strengthening and extending library services in the State. Requests for such action have also been made from the Government of India and other sources but due to additional financial implication it could not be done. Meanwhile enactment on said subject had been enforced in several states and continued demands for the enforcement of Library Act were being made from various spheres. After due consideration it was decided to make a law to provide for the establishment, organization, maintenance and development of public Libraries in the State.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid division the Uttar Pradesh Public Libaries Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 7 of 2006) was promulgated by the Governor on July 31, 2006

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R. M. CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–1089 राजपत्र (हि०)–2006–(1654)–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–127 सा० विधायी–2006–(1655)–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।